मांग | रेलवे बोर्ड के 10 वर्षीय समीक्षा नियम के उल्लंघन का मामला

मिसिंग लिंक को संसद में उठाने की मांग

धनंजय श्रीवास्तव

जबलपुर, नवभारत। महाकौशल और छत्तीसगढ़ के जनजातीय व आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक कायाकल्प से जुड़ी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बिलासपुर- मुंगेली- पंडरिया- मंडला- जबलपुर (372 किमी) नई रेल लाइन को प्रशासनिक ठंडे बस्ते से बाहर निकालने के लिए जमीनी प्रयास तेज हो गए हैं। इस सिलसिले में स्वतंत्र रेल एक्टिविस्ट नितिन द्वारा तैयार किया गया एक उच्च स्तरीय विस्तृत मांग पत्र केंद्रीय आवास और शहरी मामले राज्य मंत्री तथा बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद तोखन साहू को उनके विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया है। औपचारिक पत्र के जरिए रेल एक्टिविस्ट ने रेलवे बोर्ड द्वारा विगत दो दशकों से की जा रही प्रशासनिक अनदेखी और नीतिगत नियमों के उल्लंघन को प्रमुखता से उजागर किया है। पत्र में इस बात का कड़ा तकनीकी विरोध दर्ज किया गया है कि रेलवे बोर्ड के स्पष्ट आदेश (दिनांक 12 अप्रैल 2004) के बावजूद, जिसमें इस योजना की 10 वर्ष बाद अनिवार्य समीक्षा की जानी

थी, वर्ष 2014 की तय समय-सीमा बीत जाने के 12 साल बाद भी आज तक कोई आधिकारिक पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

योजना की तकनीकी वस्तुस्थिति

ब्रिटिश काल का इतिहास: वर्ष 1944 से लंबित इस परियोजना का प्रारंभिक इंजीनियरिंग-कम-ट्रैफिक सर्वे 1997 में मंजूर हुआ था, जिसे 2003-04 में (-) पाँच प्रतिशत आरओआर का हवाला देकर स्थगित कर दिया गया था।

100 किमी की क्रांतिकारी बचत: वर्तमान में जबलपुर से बिलासपुर के लिए गोंदिया मार्ग (517 किमी) या कटनी मार्ग (407 किमी) का उपयोग होता है। इसके मुकाबले यह सीधा मार्ग मात्र 372 किमी (आधुनिक संरेखण से 340 किमी) का होगा, जिससे समय और ईंधन दोनों बचेगा। 14 प्रतिशत तक जा सकता है आरओआर: वर्ष 2016 के आंशिक सर्वे में आरओआर (+)1.73 प्रतिशत था। वर्तमान माल ढुलाई, अमरकंटक-कान्हा के पर्यटन और औद्योगिक विकास को देखते हुए नया सर्वे होने पर इसके 12 से 14 प्रतिशत सकारात्मक होने की पूरी संभावना है।

अनिवार्य मिसिंग लिंक: छत्तीसगढ़ में कटघोरा-पंडरिया-डोंगरगढ़ मार्ग पर रेल लाइन का कार्य पहले से ही प्रगति पर है, इसलिए यह लाइन अब एक अनिवार्य मिसिंग लिंक बन चुकी है।

संसद सत्र में मुद्दा उठाने का विशेष अनुरोध

मंत्री तोखन साहू को भेजे विशेष अनुरोध में यह अपील की गई है कि चूंकि वे स्वयं बिलासपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस परियोजना का एक मुख्य छोर बिलासपुर ही है, अत: आगामी संसद सत्र के दौरान लोकसभा में इस अत्यंत महत्वपूर्ण जनहितैषी और आदिवासी अंचल के विकास से जुड़े मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएं। इस जन-आकांक्षा को रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर इसके रिव्यू सर्वे के आदेश जारी कराने एवं इसे नेशनल प्रायोरिटी कॉरिडोर घोषित करने की मांग की गई है।

करोड़ों आदिवासियों की बदलेगी तकदीर

रेल एक्टिविस्ट नितिन ने नवभारत से विशेष चर्चा में कहा कि यह रेल परियोजना केवल पटरियों का संजाल नहीं है, बल्कि महाकौशल और छत्तीसगढ़ के उन करोड़ों आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक तकदीर बदलने का माध्यम है जो पिछले 82 वर्षों से रेल कनेक्टिविटी की बाट जोह रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसे संसद में अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे। इस ऐतिहासिक पहल को व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी के संज्ञान में लाने के बाद अब क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों और रेल संरक्षकों में एक नई उम्मीद जगी है।

जमीन का कब्जा दो या फिर बाजार मूल्य से करो राशि का भुगतान

जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने शीतलपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति जबलपुर को सेवा में गंभीर कमी का दोषी ठहराते हुए 37 वर्ष पहले बुक किए गए 1500 वर्गफुट प्लाट की रजिस्ट्री कर कब्जा देने या वर्तमान कलेक्टर गाईडलाइन के अनुसार उसका बाजार मूल्य चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 25 हजार और वाद व्यय के तीन हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल परिवादी न्यू जगदम्बा कालोनी निवासी कुंजीलाल सरावगी ने अधिवक्ता अरुण जैन के माध्यम से परिवाद दायर कर बताया कि उन्होंने 1988 में 30 हजार रुपये के प्लाट के लिए 15 हजार रुपये जमा किए थे, लेकिन समिति ने आज तक न रजिस्ट्री की, न कब्जा दिया। शिकायतों के बाद समिति ने उनकी सहमति के बिना 42,950 रुपये का चेक भेजकर मामला खत्म करने की कोशिश की। आयोग ने समिति का समय बाधित होने का तर्क खारिज करते हुए कहा कि पात्र सदस्य को प्लॉट देने के बजाय एकतरफा चेक भेजना मनमाना और दुर्भावनापूर्ण कृत्य है। आयोग ने 60 दिन के भीतर प्लाट की रजिस्ट्री या बाजार मूल्य का भुगतान करने का आदेश दिया है। भुगतान में देरी होने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

घसीटता ले गया हाईवा, स्कार्पियों बनी आग का गोला, दो जिंदा जले

जबलपुर-मंडला हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर-मंडला हाईवे बरेला थाना अंतर्गत प्रसिद्ध शारदा मंदिर के पास नागा घाटी पर पर शनिवार शाम रेत से लदे एक तेज रफ्तार हाईवा और स्कार्पियो में भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि हाईवा स्कार्पियों को घसीटते ले गया। दुर्घटना के कुछ ही सेकेंड के भीतर स्कार्पियो में भयंकर आग लग गई और वह आग का गोला बन गई। दिल दहला देने, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस सड़क हादसे में स्कार्पियो सवार दो लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और दोनों की गाड़ी के भीतर ही जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भिवानी जिले के बौंद कलां निवासी प्रवीण शर्मा और खेड़ी बूरा गांव हरियाणा निवासी मोनू शर्मा स्कॉर्पियो क्रमांक एचआर 12 एजेड 1539 से रायपुर गए थे। रायपुर से हरियाणा के लौट रहे थे। शारदा मंदिर के पास नागा घाटी के समीप शनिवार शाम करीब 5 बजे तेज रफ्तार डंपर क्रं. एमपी 20 एक्सई 0585 ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। रेत से लदे हाईवा की रफ्तार बेहद तेज थी। टक्कर लगते ही स्कार्पियो गाड़ी हाईवा के अगले हिस्से में फंस गई। इसके बावजूद हाईवा चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और वह स्कार्पियो को सड़क पर दूर तक घसीटता हुआ ले गया।स्कॉर्पियो करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। इसी दौरान वह आगे खड़े एक अन्य हाईवा से टकरा गई इसके बाद स्कार्पियों में आग लग गई। रगड़ और टक्कर के कारण स्कार्पियो में अचानक ब्लास्ट हुआ और भीषण आग भड़क उठी थी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पलक झपकते ही गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई और स्कॉर्पियों सवार दोनों जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई।

डेढ़ घंटे रेस्क्यू, मिले कंकाल

हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। राहगीरों की सूचना पर बरेला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम दमकल गाड़ियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद स्कार्पियो में लगी आग पर काबू पाया। स्कार्पियों पिचक गई थी । बुरी तरह जल चुकी थी करीब डेढ़ घंटे चले रेस्क्यू के बाद दो शव जब बाहर निकाले गए तो वे कंकाल में तब्दील हो चुके थे।

वाहनों की लंबी कतार लगी

हादसे के चलते जबलपुर-मंडला मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने क्र`न की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया गया ।

ओवरटेक के चक्कर में हुआ हादसा

बरेला पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, यह भीषण हादसा ओवरटेक करने के प्रयास के दौरान हुआ। तेज रफ्तार होने के कारण चालक वाहनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। अति पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि स्कार्पियों मंडला से जबलपुर आ रही थी। एक हाईवा को ओवरटेक करते समय दूसरे हाईवा से भिड़ गई। जिसके बाद दोनों हाईवा के बीच में फंस गई। स्कार्पियों में आग लग गई और दो लोग की जलकर मौत हो गई।

चालक पर मामला दर्ज

पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गाड़ी और उसमें सवार लोग पूरी तरह जल चुके थें, इसलिए पुलिस ने स्कार्पियो के नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर पतासाजी की जिसके बाद वाहन मालिक से संपर्क किया गया। स्कार्पियों मालिक ने मृतकों की शिनाख्त की ।

अवैध कॉलोनी पर गरजी जेसीबी

सड़क, नाली एवं अन्य संरचनाएं हटाई गई

नवभारत, जबलपुर। दलपतपुर स्थित एक अवैध कॉलोनी में शनिवार को प्रशासन का पंजा चला। जेसीबी ने निर्मित सड़क, नाली एवं अन्य अवैध संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस, प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।

शनिवार को गोरखपुर अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम दलपतपुर स्थित अवैध कॉलोनी बनाई गई। कॉलोनाइजर गुरूजी कंस्ट्रक्शन को पूर्व में विधिवत नोटिस जारी कर अवैध रूप से निर्मित संरचनाओं को स्वयं हटाने का अवसर प्रदान किया गया था। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोरखपुर अनुराग सिंह के आदेश पर तहसीलदार गोरखपुर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त तहसीलदार गोरखपुर, थाना प्रभारी भेड़ाघाट, नगर निगम की टीम एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में जेसीबी एवं अन्य संसाधनों की सहायता से यह कार्रवाई संपादित की गई।

अवैध कॉलोनियों पर जारी रहेगी कार्रवाई

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर ने स्पष्ट किया है कि अनुविभाग क्षेत्र में विकसित की जा रही समस्त अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से निर्मित सड़क, नाली, सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण एवं अन्य संरचनाओं को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने हेतु नियमानुसार हटाया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। आवश्यकतानुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, कॉलोनी विकास से संबंधित अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने, शासन के प्रचलित नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने, अन्य वैधानिक कार्यवाहियां भी सुनिश्चित की जाएंगी।

60 किमी की रफ्तार से आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट

नवभारत, जबलपुर । शनिवार को सुबह से तीखी और चटक धूप खिली रही। उमस और भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। वहीं मौसम विभाग ने चौबीस घंटे के भीतर 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा । न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 77 और शाम को 44 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिमी हवाएं चार किमी की रफ्तार से चली ।

मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के कर्नाटक के शेष भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के कुछ और भागों तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। हरियाणा एवं आसपास के क्षेत्रों पर एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी तक विस्तृत है। केंद्रीय पाकिस्तान एवं उससे सटे पश्चिम राजस्थान पर एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी तक विस्तृत है। समुद्र तल पर उपर्युक्त चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र (केंद्रीय पाकिस्तान एवं उससे सटे पश्चिम राजस्थान) से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड तथा गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक फैली हुई है तथा यह औसत समुद्र तल से 0.9 किमी तक विस्तृत है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57